



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18042022-235178  
CG-DL-E-18042022-235178

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1744]  
No. 1744]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 18, 2022/चैत्र 28, 1944  
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 18, 2022/CHAITRA 28, 1944

रसायन और उर्वरक मंत्रालय  
(औषध विभाग)  
(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)  
आदेश  
नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2022

**का.आ. 1833(अ).**—भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का. आ. 1394 (अ) तारीख 30 मई, 2013 और का. आ. 701(अ) तारीख 10 मार्च, 2016 के साथ पठित औषध (कीमत नियन्त्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5,11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप में एनपीपीए कहा जाता है) नीचे की सारणी के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ (3), (4) और (5) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता, इकाई (यूनिट) और विनिर्माता और विपणन कंपनियों के नाम सहित स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में से प्रत्येक की, वस्तु एवं सेवा कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है।

तालिका

क्रं सं	विनिर्मिति का नाम/ब्रांड का नाम	प्रबलता	इकाई	विनिर्माता और विपणन कंपनी	खुदरा मूल्य (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मेटफोर्मिन (एक्सटेंडेड - रिलीज़) + टेनेग्लिप्टिन	प्रत्येक अलिपित बाइलेयर्ड गोली में: मेटफोर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 500 मिलीग्राम (एक्सटेंडेड -रिलीज़ के रूप में)	1 गोली	मैसर्स एसोसिएटेड बायोटेक / मैसर्स डेल्स लेबोरेटरीज	7.14



क्रं सं	विनिर्मिति का नाम/ब्रांड का नाम	प्रबलता	इकाई	विनिर्माता और विपणन कंपनी	खुदरा मूल्य (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	हाइड्रोक्लोराइड एक्सटेंड रिलीज़ गोली	मोनोहाइड्रेट डैपाग्लिफ्लोज़िन 5 मिलीग्राम के बराबर, मेटफोर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 1000 मिलीग्राम (एक्सटेंड रिलीज़ के रूप में)		एमक्योर फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	
9.	डैपाग्लिफ्लोज़िन + मेटफोर्मिन हाइड्रोक्लोराइड एक्सटेंड रिलीज़ गोली	प्रत्येक फिल्म-लेपित गोली में: डैपाग्लिफ्लोज़िन 5 मिलीग्राम, मेटफोर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी/यूएसपी 1000 मिलीग्राम (एक्सटेंड रिलीज़ के रूप में)	1 गोली	मैसर्स एमएसएन लैबोरेटोरिज प्रा. लि. / मैसर्स यूएसवी लिमिटेड	7.29
10.	डैपाग्लिफ्लोज़िन + मेटफोर्मिन हाइड्रोक्लोराइड एक्सटेंड रिलीज़ गोली	प्रत्येक फिल्म-लेपित गोली में: डैपाग्लिफ्लोज़िन 5 मिलीग्राम, मेटफोर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी/यूएसपी 500 मिलीग्राम (एक्सटेंड रिलीज़ के रूप में)	1 गोली	मैसर्स एमएसएन लैबोरेटोरिज प्रा. लि. / मैसर्स यूएसवी लिमिटेड	6.16
11.	ह्युमन नोर्मल इम्युनोग्लोबुलिन आईपी 5% (आईजी एम एंरिचेड)	प्रत्येक वाईल में: कुल प्रोटीन 50 ग्राम/ली, इम्युनोग्लोबुलिन एम 6 ग्राम / ली, इम्युनोग्लोबुलिन ए 6 ग्राम / ली, इम्युनोग्लोबुलिन जी 38 ग्राम / ली, ग्लूकोज मोनोहाइड्रेट (स्टेब्लाईजर) 27.5 ग्राम / ली, सोडियम क्लोराइड 4.56 ग्राम / ली, इंजेक्शन के लिए पानी क्यू. एस. डिस्ट्रीब्यूटर आईजी जी सबक्लास 62% आईजी जी 1,27% आईजी जी 2, 1% आईजी जी 3,10% आईजी जी 4	प्रति 1 मिली (10 मिली वाईल के लिए)	मैसर्स इंटास फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	177.8 5
12.	मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट सस्टेंड रिलीज गोली	प्रत्येक अलिपित सस्टेंड रिलीज़ गोली में: मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट आईपी 30 मिलीग्राम	1 गोली	मैसर्स सिनोकेम फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड / मैसर्स सीरम इंस्टीब्यूट ऑफ इंडिया प्रा. लिमिटेड	14.04
13.	मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट एसआर गोली	प्रत्येक अलिपित सस्टेंड रिलीज़ गोली में: मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट आईपी 30 मिलीग्राम	1 गोली	मैसर्स सिनोकेम फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड / मैसर्स टोरेंट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	14.04
14.	ग्लाइकोप्राइरोलेट + फॉर्मेटिरोल फ्यूमरेट + बुडेसोनाइड इनहेलेशन	प्रत्येक एक्चुएशन डेलीवर्स: ग्लाइकोप्राइरोलेट आईपी 9 एमसीजी फॉर्मेटिरोल फ्यूमरेट डाइहाइड्रेट आईपी फॉर्मेटिरोल फ्यूमरेट 4.8 एमसीजी के बराबर बुडेसोनाइड आईपी 160 एमसीजी	1 एमडीआई	मैसर्स ज़ाइडस हेल्थकेयर लि.	8.63
15.	फोलिक एसिड, पाइरिडोक्सिन	प्रत्येक अलिपित माउथ डिसॉल्विंग गोली में:	1 गोली	मैसर्स यूनिसन फार्मास्युटिकल्स प्रा.लि.	6.70

क्रं सं	विनिर्मिति का नाम/ब्रांड का नाम	प्रबलता	इकाई	विनिर्माता और विपणन कंपनी	खुदरा मूल्य (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	हाइड्रोक्लोराइड, मिथाइलकोबालामिन और विटामिन डी3 गोली	फॉलिक एसिड आईपी 5 मि.ग्रा. पाइरिडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 3 मि.ग्रा. मिथाइलकोबालामिन आईपी 1500 एमसीजी विटामिन डी3 आईपी 1000 आईयू			

नोट :

(क) उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन के विनिर्माता अर्थात् जो "नई झग" डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(यू) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे।

(ख) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (6) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे वस्तु एवं सेवा कर को जोड़ सकते हैं।

(ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24 के तहत फॉर्म V में अधिसूचना की तारीख से एक मूल्य सूची एनपीपीए को आईपीडीएमएस के माध्यम से जारी करें तथा उसकी कापी राज्य औषधि नियंत्रकों और विनिर्माता वितरकों को जारी करें।

(घ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के 24 (4) के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक फुटकर विक्रेता और वितरक विनिर्माता द्वारा दिए गए रूप में ऐसे परिसर, जहां कारबार को इस प्रकार किया जा रहा है कि उससे परामर्श के इच्छुक किसी व्यक्ति के लिए पहुंच आसान हो, वहां उसके किसी सहजदृष्ट्य भाग पर कीमत सूची और पूरक सूची, यदि कोई हो, को संप्रदर्शित करेगा।

(ङ.) उपर्युक्त गैर अधिकतम कीमत (खुदरा मूल्य) केवल उपर्युक्त निर्माता/विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण/संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों/नियमों के अन्तर्गत जैसा कि केन्द्रीय/राज्य लाइसेंसिंग ऑथोरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेन्यूफैक्चरिंग लाइसेंस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता/विपणन कम्पनियां जो अनुपालन करती हैं।

(च) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे।

(छ) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्त्वानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के पैकों की खुदरा मूल्य नियत होने के परिणामस्वरूप, आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए हैं, स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

[कां. सं. /228/96/2022/एफ/ फा.सं.8(96)/2022/डी.पी./एनपीपीए-डी.वी.-II]

प्रसेनजीत दास, उप निदेशक

**MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS**  
**(Department of Pharmaceuticals)**  
**(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY)**  
**ORDER**

New Delhi, the 18th April, 2022

**S.O. 1833(E).**—In exercise of the powers conferred by paragraphs 5, 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30<sup>th</sup> May, 2013 and S. O. 701(E) dated 10<sup>th</sup> March, 2016 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority

(hereinafter referred as NPPA), hereby fixes, the price as specified in column (6) of the table herein below as the retail price, exclusive of Goods and Services Tax, if any, in relation to the formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength, unit and name of manufacturer & marketing company, as specified in the corresponding entries in columns (3), (4) and (5) thereof;

TABLE

Sl. No.	Name of the Formulation / Brand Name	Strength	Unit	Manufacturer & Marketing Company	Retail Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Metformin (extended-release) + Teneligliptin Tablet	<b>Each uncoated bilayered tablet contains:</b> Metformin Hydrochloride IP 500mg (as Extended-Release) Teneligliptin Hydrobromide hydrate eq. to Teneligliptin 20mg	1 Tablet	M/s Associated Biotech / M/s Dales Laboratories	7.14
2.	Dapagliflozin + Metformin Hydrochloride Extended release Tablet	<b>Each film-coated tablet contains:</b> Dapagliflozin Propanediol Monohydrate eq. to Dapagliflozin 10mg, Metformin Hydrochloride IP 1000mg (As Extended release form)	1 Tablet	M/s Exemed Pharmaceuticals / M/s Emcure Pharmaceuticals Limited	10.70
3.	Dapagliflozin + Metformin Hydrochloride (As Extended release form) Tablet	<b>Each film-coated bilayered tablet contains:</b> Dapagliflozin Propanediol Monohydrate eq. to Dapagliflozin 10mg, Metformin Hydrochloride IP 1000mg (As Extended release form)	1 Tablet	M/s Synokem Pharmaceuticals Ltd. / M/s Natco Pharma Ltd.	7.97
4.	Dapagliflozin + Metformin Hydrochloride (As Extended release form) Tablet	<b>Each film-coated bilayered tablet contains:</b> Dapagliflozin Propanediol Monohydrate eq. to Dapagliflozin 10mg, Metformin Hydrochloride IP 1000mg (As Extended release form)	1 Tablet	M/s Synokem Pharmaceuticals Ltd. / M/s Apex Laboratories Private Limited	10.70
5.	Dapagliflozin + Metformin Hydrochloride Extended release Tablet	<b>Each film-coated tablet contains:</b> Dapagliflozin Propanediol Monohydrate eq. to Dapagliflozin 10mg, Metformin Hydrochloride IP 500mg (As Extended release form)	1 Tablet	M/s Exemed Pharmaceuticals / M/s Emcure Pharmaceuticals Limited	9.18
6.	Dapagliflozin + Metformin Hydrochloride (As Extended release form) Tablet	<b>Each film-coated bilayered tablet contains:</b> Dapagliflozin Propanediol Monohydrate eq. to Dapagliflozin 10mg,	1 Tablet	M/s Synokem Pharmaceuticals Ltd. / M/s Natco Pharma Ltd.	7.30

Sl. No.	Name of the Formulation / Brand Name	Strength	Unit	Manufacturer & Marketing Company	Retail Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Metformin Hydrochloride IP 500mg (As Extended release form)			
7.	Dapagliflozin + Metformin Hydrochloride (As Extended release form) Tablet	<b>Each film-coated bilayer tablet contains:</b> Dapagliflozin Propanediol Monohydrate eq. to Dapagliflozin 10mg, Metformin Hydrochloride IP 500mg (As extended release form)	1 Tablet	M/s Synokem Pharmaceuticals Ltd. / M/s Apex Laboratories Private Limited	9.18
8.	Dapagliflozin + Metformin Hydrochloride Extended release Tablet	<b>Each film-coated tablet contains:</b> Dapagliflozin Propanediol Monohydrate eq. to Dapagliflozin 5mg, Metformin Hydrochloride IP 1000mg (As extended release form)	1 Tablet	M/s Exemed Pharmaceuticals / M/s Emcure Pharmaceuticals Limited	7.29
9.	Dapagliflozin + Metformin Hydrochloride Extended release Tablet	<b>Each film-coated tablet contains:</b> Dapagliflozin 5mg, Metformin Hydrochloride IP/USP 1000mg (As extended release form)	1 Tablet	M/s MSN Laboratories Pvt. Ltd. / M/s USV Limited	7.29
10.	Dapagliflozin + Metformin Hydrochloride Extended release Tablet	<b>Each film-coated tablet contains:</b> Dapagliflozin 5mg, Metformin Hydrochloride IP/USP 500mg (As extended release form)	1 Tablet	M/s MSN Laboratories Pvt. Ltd. / M/s USV Limited	6.16
11.	Human Normal Immunoglobulin for Intravenous use IP 5% (Ig M Enriched)	<b>Each vial contains:</b> Total Protein 50 g/L, Immunoglobulin M 6g/L, Immunoglobulin A 6g/L, Immunoglobulin G 38g/L, Glucose Monohydrate (as stabilizer) 27.5g/L, Sodium Chloride 4.56g/L, Water for injection q. s. Distribution of Ig G subclass is approx. 62%IgG1,27%IgG2,1%IgG3,10 %IgG4	Per 1 ml (for 10 ml vial)	M/s Intas Pharmaceuticals Ltd	177.85
12.	Medroxyprogesterone Acetate sustained release Tablet	<b>Each uncoated sustained release tablet contains:</b> Medroxyprogesterone Acetate IP 30mg	1 Tablet	M/s Synokem Pharmaceuticals Ltd. / M/s Serum Institute of India Pvt. Ltd.	14.04
13.	Medroxyprogesterone Acetate SR Tablet	<b>Each uncoated sustained release tablet contains:</b>	1 Tablet	M/s Synokem Pharmaceuticals	

Sl. No.	Name of the Formulation / Brand Name	Strength	Unit	Manufacturer & Marketing Company	Retail Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Medroxyprogesterone Acetate IP 30mg		Limited / M/s Torrent Pharmaceuticals Ltd.	14.04
14.	Glycopyrrolate + Formoterol Fumarate + Budesonide Inhalation	<b>Each actuation delivers:</b> Glycopyrrolate IP 9mcg Formoterol Fumarate Dihydrate IP eq. to Formoterol Fumarate 4.8mcg Budesonide IP 160mcg	1 MDI	M/s Zydus Healthcare Ltd.	8.63
15.	Folic Acid, Pyridoxine Hydrochloride, Methylcobalamin & Vitamin D3 Tablet	<b>Each uncoated mouth dissolving tablet contains:</b> Folic Acid IP 5mg Pyridoxine Hydrochloride IP 3mg Methylcobalamin IP 1500mcg Vitamin D3 IP 1000 IU	1 tablet	M/s Unison Pharmaceuticals Pvt. Ltd.	6.70

**Note:**

- (a) The manufacturer of above mentioned formulations i.e. “new drug” under paragraph 2(u) of the DPCO, 2013 shall fix the retail price as specified in column (6) of the table hereinabove.
- (b) The manufacturer may add Goods and Services Tax only if they have paid actually or it is payable to the Government on the retail price mentioned in column (6) of the above said table.
- (c) The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the retail price specified in column (6) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the DPCO, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V from date of Notification as per paragraph 24 of the DPCO, 2013 to NPPA through IPDMS and submit a copy to State Drug Controller and dealers.
- (d) As per para 24(4) of DPCO 2013, every retailer and dealer shall display price list and the supplementary price list, if any, as furnished by the manufacturer, on a conspicuous part of the premises where he carries on business in a manner so as to be easily accessible to any person wishing to consult the same.
- (e) The above mentioned retail price is applicable only to the individual manufacturer / marketer as mentioned above i.e. who have applied for the same by submitting Form-I for price fixation / revision as stipulated under DPCO, 2013 and subject to fulfilment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant statutes/ rules, including manufacturing license permission from the Competent Authority i.e. the Central/State Licensing Authority, as may be applicable, by the concerned manufacturer/marketing companies.
- (f) In case the retail price of any of the aforesaid formulations is not complied with, as per instant price notification and notes specified hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO, 2013 read with the Essential Commodities Act, 1955.
- (g) Consequent to the issue of ceiling price of such formulation as specified in column (2) of the above table in this notification, the price order(s) fixing ceiling or retail price, if any, issued prior to the above said date of notification, stand(s) superseded.

[PN/228/96/2022/F/F. No. 8(96)/2022/D.P./NPPA-Div.-II]

PRASENJIT DAS, Dy. Director

आदेश

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2022

**का.आ. 1834(अ).**—भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का. आ. 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 और का.आ. 701(अ) तारीख 10 मार्च, 2016 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा

4ए 6ए 10ए 11ए 14ए 16ए 17 और 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण) के का. आ. 1503(अ) दिनांक 30 मार्च, 2022 (क्र. सं. 6) के आदेश के अधिक्रमण में जहां तक उसका संबंध नीचे की सारणी के विनिर्मिति पैक से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3) और (4) में क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट खुराक रूप एवं प्रबलता और इकाई सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविश्ट में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों में से प्रत्येक की, वस्तु एवं सेवा कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है:

### सारणी

क्र.सं.	अनुसूचित विनिर्मिति का नाम	खुराक रूप एवं प्रबलता	इकाई	अधिकतम कीमत (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	फ्रेमीसेटिन	क्रीम 0.5%	1 ग्राम	1.19

#### नोट :

- (क) सरकार द्वारा इस प्रकार नियत की गई और अधिसूचित की गई अधिकतम कीमत (धन वस्तु एवं सेवा कर, जो लागू हों) से अधिक कीमत पर अनुसूचित विनिर्मितियों के ब्रांडेड या जेनेरिक या दोनों रूपांतरों को बेच रहे अनुसूचित विनिर्मितियों के सभी विनिर्माता, उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत (धन वस्तु एवं सेवा कर, जो लागू हों) से अधिक सभी ऐसी विनिर्मितियों की कीमत का अधोमुखी पुनरीक्षण करेंगे।
- (ख) सभी मौजूदा निर्माताओं को उपर्युक्त कथित अनुसूचित विनिर्मितियों के अधिकतम खुदरा कीमत उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत वस्तु एवं सेवा कर सहित से कम है तो, जहां कही भी लागू हो, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 13(2) के अनुसार उसको मौजूदा अधिकतम खुदरा कीमत को बनाए रखना होगा।
- (ग) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे वस्तु एवं सेवा कर को जोड़ सकते हैं।
- (घ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत सम्बन्धित निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए अधिकतम कीमत निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24 के तहत फॉर्म-V में अधिसूचना की तारीख से आईपीडीएमएस के माध्यम से भरकर एनपीपीए को एक मूल्य सूची जारी करें तथा उसकी कॉपी राज्य औषधि नियंत्रकों और विनिर्माता वितरकों को जारी करें।
- (ङ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 24(4) के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक फुटकर विक्रेता और वितरक विनिर्माता द्वारा दिए गए रूप में ऐसे परिसर, जहां कारोबार को इस प्रकार किया जा रहा है कि उससे परामर्श के इच्छुक किसी व्यक्ति के लिए पहुंच आसान हो, वहां उसके किसी सहजदृश्य भाग पर कीमत सूची और पूरक सूची, यदि कोई हो, को संप्रदर्शित करेगा।
- (च) उपर्युक्त सारणी में यथा—विनिर्दिष्ट खुदरा या प्रबलता या दोनों के साथ अनुसूचित विनिर्मिति का कोई मौजूदा विनिर्माता औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 के पैरा 2(य) के अनुसार कोई नई औषधि को लांच करता है तो ऐसे मौजूदा विनिर्माता की औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 2013 की अनुसूची-II के अंतर्गत यथा—विनिर्दिष्ट फार्म—I में एनपीपीए को ऐसी नई औषधि के पूर्व मूल्य अनुमोदन हेतु आवेदन करना होगा।
- (छ) उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों की उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में निर्माताओं को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के सूची II के फॉर्म III को आईपीडीएमएस के माध्यम से भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों के निर्माण को कोई निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत करायेगा। इसके सम्बन्ध में अगर अनुसूचित विनिर्मितियों के उत्पादन और आयात को बन्द करने

का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले अनुसूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।

- (ज) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त कथित सारणी में दर्शाये अधिकतम मूल्य और शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- (झ) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्त्वानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट ऐसी विनिर्मितियों के पैकों की अधिकतम कीमत नियत होने के परिणामस्वरूप, अधिकतम या खुदरा मूल्य निर्धारित आदेश यदि कोई हो, जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए हैं, स्वतः ही अधिक्रमण हो जायेंगे।

[कां. सं. /228/96/2022/एफ/ फा.सं.8(96)/2022/डी.पी./एनपीपीए-डी.वी.-II]

प्रसेनजीत दास, उप निदेशक

## ORDER

New Delhi, the 18th April, 2022

**S.O. 1834(E).**—In exercise of the powers conferred by paragraphs 4, 6, 10, 11, 14, 16, 17 and 18 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30<sup>th</sup> May, 2013 and S.O. 701(E) dated 10<sup>th</sup> March, 2016 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers (National Pharmaceutical Pricing Authority) at Sl. No. 6 of SO 1503(E) dated 30<sup>th</sup> March, 2022 in so far as it relates to formulation packs mentioned in the table below, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA) hereby fixes the price as specified in column (5) of the table herein below as ceiling price exclusive of goods and services tax applicable, if any, in respect of the Scheduled formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the dosage form & strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof:

## TABLE

Sl. No.	Name of the Scheduled Formulation	Dosage form & Strength	Unit	Ceiling Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Framycetin	Cream 0.5%	1 GM	1.19

### Note:

- (a) All manufacturers of scheduled formulation, selling the branded or generic or both the versions of scheduled formulations at a price higher than the ceiling price (plus Goods and Services Tax as applicable) so fixed and notified by the Government, shall revise the prices of all such formulations downward not exceeding the ceiling price specified in column (5) in the above table plus goods and services tax as applicable, if any.
- (b) All the existing manufacturers of above mentioned scheduled formulations having MRP lower than the ceiling price specified in column (5) in the above table plus goods and services tax as applicable, if any, shall continue to maintain the existing MRP in accordance with paragraph 13 (2) of the DPCO, 2013.
- (c) The manufacturers may add goods and services tax only if they have paid actually or if it is payable to the Government on the ceiling price mentioned in column (5) of the above said table.
- (d) The ceiling price for a pack of the scheduled formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the ceiling price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V from date of Notification as per paragraph 24 of the DPCO, 2013 to NPPA through IPDMS and submit a copy to State Drug Controller and dealers.
- (e) As per para 24(4) of DPCO 2013, every retailer and dealer shall display price list and the supplementary price list, if any, as furnished by the manufacturer, on a conspicuous part of the premises where he carries on business in a manner so as to be easily accessible to any person wishing to consult the same.
- (f) Where an existing manufacturer of scheduled formulation with dosage or strength or both as specified in the above table launches a new drug as per paragraph 2 (u) of the DPCO, 2013 such existing manufacturer shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under Schedule-II of the DPCO, 2013.
- (g) The manufacturers of above said scheduled formulations shall furnish quarterly return to the NPPA, in respect of production / import and sale of scheduled formulations in Form-III of Schedule-II of the DPCO, 2013 through IPDMS. Any manufacturer intending to discontinue production of above said scheduled formulation shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of production and / or import of scheduled

formulation in Form-IV of Schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.

- (h) The manufacturers not complying with the ceiling price and notes specified hereinabove shall be liable to deposit the overcharged amount along with interest thereon under the provisions of the Drugs (Prices Control) Order, 2013 read with Essential Commodities Act, 1955.
- (i) Consequent to the issue of ceiling price of such formulation as specified in column (2) of the above table in this notification, the price order(s) fixing ceiling or retail price, if any, issued prior to the above said date of notification, stand(s) superseded.

[PN/228/96/2022/F/F. No. 8(96)/2022/D.P./NPPA-Div.-II]

PRASENJIT DAS, Dy. Director